न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—103/2019/223 (2019/00103)

1. अनोपसिंह पुत्र लालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम कलाखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 31.5.2008 अंतर्गत वाद संख्या 7/2005 .

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एव डिक्री दिनांक 31.5.25008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 108 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा कलाखेडा, तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 30, 32, 33, 34, 35, 38, 21, 23, 24, 26, 29, 30/105, 37, 39, 27, 20 व 22 की भूमियां सेटलमेंट रिकार्ड में वादी के पिता स्व0 लालसिंह की खातेदारी में अंकित चली आ रही थी किन्तु सेटलमेंट के बाद वर्किंग जमाबंदी कायम करते समय विवादित आराजी खसरा नंबर 20 व 22 को बिना वादी के पिता को सुने गैर कानूनी रूप से भू—प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी खाते में लगा दी गई है जबकि वादी के पिता ने काफी धन खर्च करके तथा परिश्रम करके खसरा नंबर 20 में पक्का सीमेन्टेड एनीकट व इसके चार दीवारी का निर्माण करवाया है । सेटलमेंट में खातेदारी मिल जाने के बाद से वादी

के पिता ही इस पर काबिज काश्त चले आये है तथा वर्तमान में इन पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी को प्राप्त जानकारी के अनुसार बरल निवासी हरिसिंह ने वादी की विवादित आराजी खसरा नंबर 20 को अन्य लोगों से मिलीभगत करके ग्राम बरल में पूर्व से श्मशान होने के बावजूद गैर कानूनी रूप से श्मशान हेतु आवंटन का प्रस्ताव रख दिया है । यदि यह स्वीकार हो जाता है तो वादीगण के खेतों पर जाने के लिये रास्ता नहीं रहेगा तथा पास ही में आबादी भूमि में वादी के मकानात है जिनके पड़ोस में शमशान बन जाने से वादी को परेशान होगी । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2008 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष तनकी संख्या 1 को बखूबी साबित किया था । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सेटलमेंट खतौनी से यह पूर्णतया साबित था कि प्रश्नगत आराजियात वादी के पूर्वजों की खातेदारी की रही है जिसे दौराने सेटलमेंट सिवायचक दर्ज कर दिया गया । प्रश्नगत आराजी पर निरन्तर निर्बाध कब्जा वादी/अपीलांट को वर्षो से चला आ रहा है । कानूनन स्थिति अनुसार भी ऐसे निरन्तर निर्बाध कब्जे को नियमन करने का भी प्रावधान है परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त महत्वपूर्ण स्थिति को नजरअदांज कर सरसरी तौर पर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । तनकी संख्या 2 के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह बखूबी स्पष्ट था कि वर्ष 1970–71 में उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी/अपीलांट के पिता के खाते में दर्ज थी । ऐसी स्थिति में वादी प्रश्नगत भूमि के खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने के साथ प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का भी अधिकारी था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि सेटलमेंट रिकार्ड को नहीं माना भी जावे तो भी राज्य सरकार की मंशा अनुसार ऐसे लंबे समय से काबिज व्यक्ति को भूमि नियमन किये जाने का प्रावधान है परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । आराजी खसरा नंबर 20 से चिपती हुई समस्त आराजियात वादी/अपीलांट की है तथा आराजी नंबर 20 मे जाने हेतु पृथक से कोई रास्ता नहीं है । ऐसी स्थिति में भी आराजी नंबर 20 का उपयोग मात्र वादी ही कर सकता है जिसके आधार पर भी वादी प्रश्नगत भूमि के नियमन का पात्र है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2008 की प्रार्थी को कतई जानकारी नही रही है एवं न ही उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई जानकारी ही दी गई । सर्वप्रथम माह जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में ग्रामवासियों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जाने हेतु प्रार्थी की आराजियात में हस्तक्षेप करने व प्रार्थी द्वारा उन्हें रोके जाने पर उन्होंने जिला कलक्ट के आवंटन आदेश का हवाला देते हुए

अवगत कराया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 20 में से 1 बीघा 5 बिस्वा श्मशान हेतु आवंटित की जा चुकी है । उक्त जानकारी होने पर प्रार्थी अपने वकील से मिला व पूर्व प्रकरण व जिला कलक्टर, अजमेर के आवंटन आदेश की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक होकर किस्म पहाड़ दांती है जिस पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । वादी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा किये जाने पर उसे विवादित भूमि से बेदखल किया जा चुका है। वर्तमान में विवादित भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम श्मशान हेतु आवंटित हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान वकील अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि मौजा कलाखेडा, तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 30, 32, 33, 34, 35, 38, 21, 23, 24, 26, 29, 30/105, 37, 39, 27, 20 व 22 की भूमियां सेटलमेंट रिकार्ड में वादी के पिता स्व0 लालसिंह की खातेदारी में अंकित चली आ रही थी किन्तु सेटलमेंट के बाद वर्किंग जमाबंदी कायम करते समय विवादित आराजी खसरा नंबर 20 व 22 को बिना वादी के पिता को सुने गैर कानूनी रूप से भू–प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नंबर 20 व 22 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे अथवा नियमन किया जावे । इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता का कथन रहा है कि विवादित आराजी सिवायचक होकर किस्म पहाड़ दांती है जिस पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । वादी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा किये जाने पर उसे विवादित भूमि से बेदखल किया जा चुका है। वर्तमान में विवादित भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम श्मशान हेतु आवंटित हो चुकी है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने सेटलमेंट खतौनी संवत् 2070–71 की खतौनी अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर उक्त खतौनी के अनुसार खातेदारी का अनुतोष चाहा है जबकि सेटलमेंट खतौनी 2070–71 को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये उक्त खतौनी के आधार पर वादी/अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व भी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक होकर पहाड़ एवं पहाड़िया दर्ज होकर किस्म दांती दर्ज है । विद्वान राजकीय अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि विवादित भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम के श्मशान हेतु आवंटित हो चुकी है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा

अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2008 यथावत् रखा जाता है । । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर